

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:—04.10.2021

थाना शिवली

दिनांक 03.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 458/21 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम में जिलाबदर अभियुक्त बोडे शुक्ला उर्फ अनिल शुक्ला को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 03.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 459/21 धारा 13 जुआ अधि0 में अभियुक्तगण सौरभ सोनकर आदि 04 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(3)

दिनांक 03.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 460/21 धारा 13 जुआ अधि0 में अभियुक्तगण मुकेश आदि 04 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना बरौर

दिनांक 03.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 85/19 धारा 3/1 गैंगेस्टर एक्ट में वारंटी अभियुक्त अफजल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना रूरा

दिनांक 03.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 413/19 धारा 3/1 गैंगेस्टर एक्ट में वारंटी अभियुक्त पुत्तन को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना रसूलाबाद

दिनांक 03.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 355/12 धारा 308/323/504/506 भा0द0वि0 में वारंटी अभियुक्त नरेन्द्र को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना अकबरपुर

दिनांक 03.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग एसटी नं0 237/08 धारा 3/1 गैंगेस्टर एक्ट में वारंटी अभियुक्त अनिल शुक्ला को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 03.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 875/13 धारा 272 भा0द0वि0 व 60 आबकारी अधि0 में वारंटी अभियुक्त शेखर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(3)

दिनांक 03.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग मु0नं0 1863 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 में वारंटी अभियुक्त बबलू को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(4)

दिनांक 03.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 400/18 धारा 3/1 गैंगेस्टर एक्ट में वारंटी अभियुक्त सुखदेव को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना भोगनीपुर

दिनांक 03.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 277/14 धारा 354/504/506/452 भा0द0वि0 व 8 पाक्सो एक्ट में वारंटी अभियुक्त महेश को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 03.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 612/16 धारा 135 विद्युत अधिनियम में वारंटी अभियुक्त कुंवरलाल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(3)

दिनांक 03.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 560/19 धारा 3/1 गैंगेस्टर एक्ट में वारंटी अभियुक्त अमीन को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।